सं0 15(6)2020/एफएलआरएस/आरसीडी/एफएसएसएआई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002

दिनांक 13 अप्रैल, 2020

आदेश

विषयः कोविड–19 विश्वमारी के कारण दिनांक 22 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 के दौरान समाप्त हुए/होने वाले लाइसेंस/पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए दिनांक 30 जून, 2020 तक की छूट के संबंध में

चूँकि कोविड–19 के कारण अखिल भारतीय लॉकडाउन के दौरान आवागमन पर प्रतिबंध है, यह देखने में आया है कि खाद्य कारोबारी (एफबीओ), जो आवेदन फाइल करने के लिए राज्यों के हेल्पडेस्कों, प्राधिकारियों अथवा परामर्शदाताओं की सहायता आम तौर पर लेते रहते हैं, अपने एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस/पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया हैः

क. जिन एफबीओ के लाइसेंस/पंजीकरण 22 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 की अवधि के दौरान समाप्त हो गए हैं/होने वाले हैं, उन्हें अपने लाइसेंस/पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करने हेतु बिना विलंब शुल्क के 30 जून, 2020 तक की छूट दी गई है। इस अंतरिम अवधि के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस/पंजीकरण वैध माने जाएँगे।

ख. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में इंटरनेट सेवाओं में बाधा को ध्यान में रखते हुए एफ.एस.एस.ए.आई ने अपने आदेश सं0 15(6)2020/एफएलआरएस/आरसीडी/एफएसएसएआई, दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 द्वारा उन एफबीओ को अपने खाद्य कारोबार अपने मौजूदा लाइसेंस/पंजीकरण से विलंब शुल्क दिए बिना इंटरनेट सेवाओं के चालू होने तक अगले आदेश होने तक जारी रखने की अनुमति दी थी, जिनके एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस/पंजीकरण 01 अगस्त, 2019 को समाप्त हो गए थे/उसके बाद समाप्त होने वाले थे। चूँकि अब क्षेत्र में इंटरनेट चालू हो गया है, अतः अब उक्त आदेश लागू नहीं होगा। तथापि कोविड–19 विश्वमारी के कारण लॉकडाउन के कारण एफबीओ को अपने आवेदन फाइल करने में अभी भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघशासित क्षेत्रों में जिन खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस/पंजीकरण 01 अगस्त, 2019 से 31 मई, 2020 तक की अवधि के दौरान समाप्त हो गए हैं/होने वाले हैं, वे अपने लाइसेंस/पंजीकरण के नवीकरण के लिए कोई विलंब शुल्क दिए बिना 30 जून, 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इस अंतरिम अवधि के दौरान उनके लाइसेंस/पंजीकरण वैध माने जाएँगे।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(डॉ. शोभित जैन)

कार्यकारी निदेशक (अनुपालन कार्यनीति)

ई–मेल : ed-office@fssai.gov.in

सेवा में

1. सभी खाद्य कारोबारी
2. सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और केंद्रीय लाइसेंसिग प्राधिकारी
3. प्रमुख (आईटी), एफ.एस.एस.ए.आई – एफएलआरएस में आवश्यक परिवर्तन करने और इस आदेश को एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. प्रमुख (आरसीडी)
2. अध्यक्ष/एफ.एस.एस.ए.आई के पीपीएस
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई के निजी सचिव